[1]प्ररूप सं. 36

[नियम 47(1) *देखें*]

अपील अधिकरण को अपील का प्ररूप

..... आय-कर अपील अधिकरण में

..... की अपील सं. .....

..... बनाम .....

अपीलार्थी प्रत्यर्थी

अपीलार्थी निजी जानकारी	नाम/अपीलार्थी का पदनाम (यथा लागू)	
	[2][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] (यदि लागू हो)	
	टैन संख्या (यदि लागू हो)	
	नोटिस भेजने हेतु पूरा पता	
	राज्य	
	पिन कोड	
	एसटीडी कोड के साथ दूरभाष सं./मोबाईल सं.	
	ई-मेल पता	
प्रत्यर्थी की निजी जानकारी	प्रत्यर्थी का नाम या पदनाम (यथा लागू)	
	[2][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] (यदि लागू हो)	
	टैन संख्या (यदि लागू हो)	
	नोटिस भेजने हेतु पूरा पता	
	राज्य	
	पिन कोड	
	एसटीडी कोड के साथ दूरभाष सं./मोबाइल सं. (यदि उपलब्ध हो)	
	ई-मेल पता (यदि उपलब्ध हो)	

---

1. आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2018 द्वारा 23.10.2018 से प्रतिस्थापित।

2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अपील के ब्यौरे	1	वह निर्धारण वर्ष जिसके संबंध में अपील की जाती है		
	2	मद 1 में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा घोषित कुल आय		
	3	अपील के विरूद्ध किए गए आदेश के ब्योरे		
		क	वह धारा और उपधारा जिसके अधीन आदेश पारित किया गया	
		ख	आदेश की तारीख	
		ग	आदेश की तामील या संसूचना की तारीख	
	4	अपील के विरुद्ध किए गए आदेश को पारित करने वाला आयकर प्राधिकारी		
	5	वह राज्य और जिला जिसमें अधिकारिता वाला निर्धारण अधिकारी अवस्थित है		
	6	वह धारा और उपधारा जिसके अधीन मूल आदेश पारित किया गया		
अपील में विवादित रकम	7	यदि अपील किसी निर्धारण से संबंधित हैः—		
		क	मद 1 में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा संगणित कुल आय	
		ख	निर्धारण में किए गए योगों या अननुज्ञातों की कुल रकम	
		ग	अपील में विवादित रकम	
	8	यदि अपील किसी शास्ति से संबंधित हैः-		
		क	आदेश के अनुसार अधिरोपित शास्ति की कुल रकम	
		ख	अपील में विवादित शास्ति की रकम	
	9	यदि अपील किसी मामले से संबंधित है		
		क	अपील में विवादित रकम	
अपील के आधार	10	अपील के आधार		अपील के प्रत्येक आधार से संबंधित कर प्रभाव (नीचे टिप्पण देखें)
		1.		
		2.		
		3.		
			कुल कर प्रभाव (नीचे टिप्पण देखें)	
अपील फाईल करने के ब्यौरे	11	क्या अपील फाइल करने में कोई देरी हुई है (यदि हां, तो देरी को क्षमा करने के लिए आवेदन संलग्न करें)		हां/नहीं
	12	संदत्त अपील फीस के ब्यौरे		
		बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	क्रम संख्यांक	रकम

हस्ताक्षर (प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो) नाम : पदनाम :		**हस्ताक्षर** (अपीलार्थी) नाम : पदनाम :

सत्यापन के लिए प्ररूप

मैं, ..., अपीलार्थी, यह घोषणा करता हूं कि ऊपर किया गया कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान : .....
तारीख : .....

हस्ताक्षर .....
नाम : .....
पदनाम : .....

टिप्पण :

1. अपील का ज्ञापन तीन प्रतियों में होगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होगा—

   (क) आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की दो प्रतियां (जिसमें से कम से कम एक प्रमाणित प्रति होनी चाहिए), निर्धारण अधिकारी के सुसंगत आदेश की दो प्रतियां, प्रथम अपील प्राधिकारी या विवाद निपटारा पैनल के समक्ष अपील के आधारों या आक्षेप के आधारों की दो प्रतियां, उक्त प्रथम अपील प्राधिकारी या विवाद निपटारा पैनल के समक्ष फाइल तथ्यों के कथनों की दो प्रतियां, और निम्नलिखित भी संलग्न होगाः-

   (*i*) शास्ति उद्गृहीत करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, सुसंगत निर्धारण आदेश की दो प्रतियां;

   (*ii*) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 144क के साथ पठित धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, उक्त धारा 144क के अधीन जारी निदेशों की दो प्रतियां;

   (*iii*) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में मूल निर्धारण आदेश की दो प्रतियां, यदि कोई हों;

   (*iv*) विवाद निपटारा पैनल के निदेशों के अनुसरण में किए गए निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, विवाद निपटारा पैनल के निदेशों की प्रति।

   (ख) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त अथवा प्रधान निदेशक या निदेशक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील में सुसंगत आदेश की दो प्रतियां।

2. (अ) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 253 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा अपील के ज्ञापन के साथ निम्नलिखित फीस होगीः-

(क) जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा यथासंगणित निर्धारिती की कुल आय उस मामले में जिससे अपील संबंधित है, एक लाख रुपए या कम है, पांच सौ रुपए;

(ख) जहां यथापूर्वोक्त संगणित निर्धारिती की कुल आय उस मामले में जिससे अपील संबंधित है एक लाख रुपए से अधिक किंतु दो लाख रुपए से कम है, पंद्रह सौ रुपए;

(ग) जहां यथापूर्वोक्त संगणित निर्धारिती की कुल आय उस मामले में जिससे अपील संबंधित है दो लाख रुपए से अधिक है तो अधिकतम दस हजार रुपए के अधीन रहते हुए निर्धारित आय की एक प्रतिशत;

(घ) जहां अपील की विषय वस्तु खंड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट विषय-वस्तु से भिन्न किसी मामले से संबंधित है, पांच सौ रुपए;

(ङ) प्रत्याक्षेप के विज्ञापन के मामले में कोई फीस संदेय नहीं होगी;

(च) मांग के ठहराव के लिए आवेदन के साथ पांच सौ रुपए की फीस संलग्न होगी।

(आ) चालान प्राप्त करने के पश्चात् फीस का प्रत्यय प्राधिकृत बैंक की शाखा में या भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में या भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा में किया जा सकेगा और चालान की प्रति तीन प्रतियों में अपील के ज्ञापन के साथ अपील अधिकरण को भेजी जाएगी।

(इ) अपील अधिकरण फीस के संदाय के प्रयोजन के लिए चैक, ड्राफ्ट, हुंडी या अन्य परक्राम्य लिखत स्वीकार नहीं करेगा।

3. अपील का ज्ञापन अंग्रेजी में लेखबद्ध होगा या यदि अपील आय-कर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिए अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित किसी राज्य में अवस्थित खंडपीठ में फाइल की जाती है तो अपीलार्थी के विकल्प पर हिंदी में होगा और बिना किसी तर्क या वर्णन के अपील के आधार संक्षेप में और विभिन्न शीर्षकों के अधीन बताए जाएंगे तथा ऐसे आधार क्रमानुसार संख्याकिंत किए जाएंगे।

4. अपील संख्या और अपील का वर्ष अपील अधिकरण के कार्यालय द्वारा भरे जाएंगे।

5. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी की जानकारी चाहने वाले स्तंभ में सुसंगत डाटा, जैसा लागू हो, उचित ढंग से भरा जाएगा।

दृष्टांत-उदाहरण के लिए, यथास्थिति, विभाग अपीलार्थी या प्रत्यर्थी है तो अपील फाइल करने वाले अधिकारी का पदनाम तथा उसके कार्यालय से संबंधित ब्यौरे, यदि उपलब्ध हों, भरे जाएंगे।

6. इस प्ररूप को भरने के प्रयोजन के लिए 'कर प्रभाव' निर्धारित की गई कुल आय पर कर तथा वह कर जो प्रभार्य होता यदि ऐसी कुल आय उन मुद्दों के संबंध में आय की रकम द्वारा घटा दी गई होती जिनके विरुद्ध अपील फाइल करने के लिए आशयित है (अर्थात विवादित मुद्दे), जिसके अंतर्गत लागू प्रभार और उपकर भी हैं, के बीच अंतर के रूप में लिया जाएगाः

परंतु कर में उस पर ब्याज सम्मिलित नहीं होगा सिवाय वहां जहां स्वयं ब्याज की प्रभार्यता विवादग्रस्त और उस मामले में जहां ब्याज की प्रभार्यता विवादग्रस्त मुद्दा है वहां ब्याज की रकम कर प्रभाव होगीः

परंतु यह और कि उन मामलों में जहां वापसी हानि आय के रूप में कम या निर्धारित की जाती है, वहां का प्रभाव विवादग्रस्त मुद्दों पर कल्पित कर समेत होगाः

परंतु यह भी कि शास्ति आदेश के मामलों में कर प्रभाव अपील किए गए आदेश के विरुद्ध हटाई गई या कम की गई शास्ति की मात्रा होगाः

परंतु यह भी कि 'कुल कर प्रभाव' अवधारित करते समय आधार पर कर प्रभाव, जो सामान्य आधारों का हिस्सा बनाता है, जैसे कि जहां मामले को पुनः खोलना स्वयं चुनौती के अधीन है, पृथक रूप से विचार नहीं किया जाएगाः

परंतु यह भी कि जहां आय की संगणना आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञख या धारा 115ञग के उपबंधों के अधीन की जाती है, वहां कर प्रभाव निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा, अर्थात्:—

(A-B) + (C-D)

जहां,

A = धारा 115ञख या धारा 115ञग (जिसे इसमें नियमित उपबंध कहा गया है) में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्न उपबंधों के अनुसार कर की कुल रकम है;

B = कर की कुल रकम जो प्रभार्य होती, यदि ऐसी कुल आय नियमित उपबंधों के अधीन विवादित मुद्दों की रकम द्वारा नियमित उपबंधों के अनुसार घटा कर निर्धारित की गई होती;

C = धारा 115ञख या धारा 115ञग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कर की कुल रकम;

D = कर की कुल रकम जो प्रभार्य होती, यदि धारा 115ञख या धारा 115ञग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल रकम, उक्त उपबंधों के अधीन विवादित मुद्दों की रकम द्वारा घटा दी गई होतीः

परंतु यह भी कि जहां विवादित मुद्दों की रकम धारा 115ञख या धारा 115ञग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन तथा नियमित उपबंधों के अधीन दोनों में विचारित की जाती है, तो ऐसी रकम मद D के अधीन रकम अवधारित करते समय कर की कुल रकम से घटाई नहीं जाएगी।

7. यदि प्रदान किया गया स्थान अपर्याप्त हैं, तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् संलग्नक प्रयोग किए जा सकेंगे।]